

सुभन देवी । धरणी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
9.3.21	<p>पत्रावली देवा डुबरी सरिसल रिपोर्ट का अपलोकर विमा। अपील SUBJECT to limitation का रजिस्टर की जाये। अपील के साथ संलग्न अन्तर्गत स्वगत प्रार्थना-पत्र पर अपीलान्ट. अग्रिमपत्र का सुना तथा अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का अपलोकर विमा जमा। तहत अदालत की आदेशिका के अपलोकर से स्पष्ट है कि अपी। उल्लिखित के सुने बिना ही तहत अदालत द्वारा स्वपत्रीय स्वगत जारी विमा जमा है। अतः तहत अदालत उपरण्ड अफिसरी बानसूर का आदेश दिनांक 5.6.13 उन्माध धरणी वनाध धरणी का उन्माध निरस्त करते हुये अपी. को तहत माफ. में उपस्थित होने के आदेश दिये जाते हैं। तथा तहत अदालत उपरण्ड अफिसरी बानसूर का उन्माधपत्रों को सुनकर (आजानी दो माह में उन्माध का निरस्त करने के निर्देश देते हुये उन्माध उपस्थित (Demand) विमा जाता है। पत्रावली फैंसल बुझार होकर नम्बर के उन्माध की जाकर दारिजल दफ्तर की जाये।</p>	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर